कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण मे दायर अपील संख्या 5485/2021 विजयराम मीना बनाम स्टेट व अन्य में दिए गए निर्णय दिनांक 10.11.2021 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के सदंभ मे देखा गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी का प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) हिन्दी के पद पर कनिष्ठ कार्मिक के समान चयन वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के प्रति एव प्रधानाचार्य पद पर चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनित किया जाकर पदोन्नति प्रदान की जावे। माननीय अधिकरण ने अपीलार्थी को अपील में वर्णित आधारों पर सक्षम प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम प्राधिकारी प्राप्त अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निरतारित करने के आदेश पारित किये हैं। अभ्यावेदन में की गई मांग के संबंध में माननीय अधिकरण के द्वारा अपील में पारित आदेश एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। अपीलार्थी द्वारा की जा रही मांग के सम्बंध में सबधित अभिलेखीय स्थिति एवं नियमों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी की द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद हेतु जारी राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची अवधि 2001–02 में वरिष्ठता क्रमांक 1990 पर स्नातकोत्तर हिन्दी, इतिहास एव राजनीति विज्ञान की योग्यताएं आदेश दिनांक 26.06.2013 के द्वारा जोडी गई है, एव योग्यता दर्ज होने के उपरांत इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) हिन्दी की चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियो के प्रति डीपीसी बैठक दिनाक 22.02.2015 में चयनित कर लिया गया। प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) हिन्दी की चयन वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु डीपीसी बैठक दिनाक 09.03.2013 को आयोजित की गई थी तथा बैठक के समय अपीलार्थी की संबधित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में स्नातकोत्तर हिन्दी विषय की योग्यता दर्ज नहीं थी, अतः नियमानुसार इन्हें उक्त वर्षों की निर्मित पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। विभाग द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की सबधित उप निदेशक(माध्यमिक) कार्यालय स्तर पर अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तिया आमन्त्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरात विभाग द्वारा सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियो को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियां आमन्त्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियो का निराकरण करने के उपरात राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थियो को जारी वरिष्ठता सूचियों को पहले मण्डल स्तर पर एवं बाद मे राज्य स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दो बार अवसर प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा समय पर एमए हिन्दी की योग्यता सबंधित वरिष्ठता सूची में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वरिष्ठता सूची मे समय पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने हेतु अपीलार्थी स्वयं उत्तरदायी है। जहां तक कनिष्ठ कार्मिकों का चयन वर्ष 2009–10 की रिक्तियों के प्रति चयन किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिकों की संबधित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची मे प्रारभ से स्नातकोत्तर हिन्दी विषय की योग्यता दर्ज थी, अतः इनके चयन की तुलना अपीलार्थी के चयन से नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) हिन्दी की चयन वर्ष 2009–10 एवं प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के प्रति चयन किये जाने सम्बंधी की जा रही मांग नियमानुसार विचार योग्य नहीं बनती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन मे प्रस्तुत तथ्यों का अभिलेखीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरात अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलार्थी के द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) हिन्दी की चयन वर्ष 2009–10 एवं प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2018–19 की निर्धारित रिक्तियो के प्रति डीपीसी से चयन किये जाने सम्बंधी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी संबधित सूचित हों।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमाकः–शिविरा–माध्य/संस्था/ओएसी/अधिकरण अपील सं. 5485/2021 दिनांक : 21/7/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संबधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जयपुर
5. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा/डीपीसी प्रभाग–2
6. संबंधित अपीलार्थी श्री विजयराम मीना प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) हिन्दी,राउमावि, बुटियाना लक्ष्मणगढ अलवर (रजिस्टर्ड)
7. एसीपी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक(डीपीसी),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Scanned with CamScanner